

कार्यालय
पत्रांक

आवंटन पत्र का प्रारूप :-
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण,
/वि०प्रा०/2020-21

बुलन्दशहर
दिनांक

सेवा में,

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा गंगानगर आवासीय योजना, बुलन्दशहर में वर्गमी० के भूखण्ड को आवंटन हेतु धनराशि रु० जमा कराते हुए पंजीकरण कराया गया था, जिसका दिनांक को लॉटरी ड्रॉ निकाला गया। ड्रा के आधार पर आपको भूखण्ड सं०-..... आवंटित किया गया है। भूखण्ड सं०-..... की अनुमानित कीमत रु० है, अतः 15 प्रतिशत आरक्षण धनराशि रु० को दिनांक तक जमा कराने का कष्ट करें। अतः आपको आवंटित भूखण्ड के मूल्य की अवशेष धनराशि रु० को किश्तों के रूप में निम्न तालिका के अनुसार देय तिथि तक जमा कराना सुनिश्चित करें :-

क्र०सं०	विवरण	मूलधन	ब्याज 12%	कुल देय धनराशि	देय दिनांक
1	प्रथम किस्त				
2	द्वितीय किस्त				
3	तृतीय किस्त				
4	चतुर्थ किस्त				
5	पंचम किस्त				
6	षष्ठम किस्त				
7	सप्तम किस्त				
8	अष्टम किस्त				
9	नवम किस्त				
10	दशम किस्त				
11	एकादश किस्त				
12	द्वादश किस्त				

अन्य शर्तें :-

- भुगतान हेतु सम्बन्धित धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चालान के माध्यम से एच०डी०एफ०सी० बैंक, डी०एम० रोड, यमुनापुरम, बुलन्दशहर स्थित बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के खाते में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा करायी जा सकती है। ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय तथा बुलन्दशहर में भुगतान योग्य होना चाहिए। किसी भी दशा में बैंक स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- यदि बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण को देय किस्त का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो 12 प्रतिशत दर पर 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज और जोड़कर कुल ब्याज दर निकालते हुए वित्तीय समय पर (डिफाल्टर पीरियड पर) चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में गणना कर ब्याज धनराशि आवंटि से वसूल की जायेगी। देय किस्त का भुगतान तीन महीने की अवधि में न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- यदि देय तिथि को अवकाश रहता है, तो अगली तिथि देय तिथि माना जायेगा।
- कॉर्नर भूखण्ड होने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा। उक्त अतिरिक्त चार्ज को भूमि मूल्य में जोड़ते हुए तथा भूखण्ड के वास्तविक मूल्य पर 12 प्रतिशत लीजरेन्ट व फ्री-होल्ड चार्ज जोड़ते हुए भूखण्ड का कुल मूल्य निर्धारित किया गया है।
- आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद, इम्पुवमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कालोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा भूखण्ड योजना में आवंटन हो जाता है, तो उसके द्वारा आवंटित सम्पत्तियों में से मात्र एक सम्पत्ति की जमा की गयी धनराशि को छोड़कर दूसरे भूखण्ड की जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापिस कर दी जायेगी।

7. भूखण्ड का कब्जा विकास कार्य होने एवं साईट प्लान उपलब्ध होने के उपरान्त समस्त देयता जमा होने व विक्रय विलेख निष्पादित होने के पश्चात् दिया जायेगा।
8. आवंटन से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें पंजीकरण पुस्तिका (ब्रोशर) में अंकित नियम एवं शर्तों के अनुसार होगी।
9. इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

सचिव
बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
बुलन्दशहर

बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख "बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर" यथा संशोधित बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर विज्ञप्ति शासनादेश सं० 350/आठ/6-8-12 गठन दिनांक 08.02.2008 के अन्तर्गत (जो राष्ट्रपति अधिनियम सं० 11 सन् 1973 पुनर्विधायन उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 20 सन् 1974 की धारा 4 के अधीन गठित एक "निकाय" है तथा जिसका मुख्य कार्यालय यमुनापुरम कॉम्प्लेक्स, महात्मा गाँधी मार्ग, बुलन्दशहर पर स्थित है, के "प्राधिकृत अधिकारी" के माध्यम से, जिसे इस विलेख में आगे "विक्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ, जब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो, स्वयं विक्रेता, उसके प्रशासकों, अधिशासकों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशकों से लिया जायेगा, तथा "प्रथम कक्ष" कहलायेगा)

द्वारा

श्री/श्रीमती/कु०.....

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

निवासी-.....

(जिसे कि इस विलेख में आगे "क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है, जिसका अर्थ, जब तक कि उसे विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया हो, क्रेता स्वयं, उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधियों एवं समानुदेशकों से लिया जायेगा तथा "द्वितीय पक्ष" कहलायेगा) के हित में निष्पादित किया गया है।

विक्रेता ने जनहित में भूमि अध्यापित करके विकसित की तथा उस पर उक्त स्थावर सम्पत्ति सृजित की। क्रेता के आवेदन पत्र दिनांक.....पर उसे नकद भुगतान पर/स्ववित्त पोषित अथवा किराया क्रय पद्धति के आधार पर दिनांक.....को आवंटित किया। सम्पत्ति, जिसका यह विक्रय-विलेख निष्पादित किया जा रहा है, का विवरण विलेख के अन्त में दिया गया है।

सम्पत्ति का मूल्यांकन निम्नानुसार है:-

(क) सम्पत्ति के भूखण्ड का क्षेत्रफल. :

(ख) भूमि की दर रु० :

(ग) भूमि का मूल्य रु० :

(नोट : विक्रय विलेख निष्पादित करते समय सम्पत्ति के भूखण्ड की वास्तविक माप के उपरान्त यदि यह पाया जाता है कि भूखण्ड का क्षेत्रफल सम्पत्ति के आवंटन के समय आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है तो 10 प्रतिशत तक बढ़ी हुई भूमि का मूल्य सम्पत्ति के आवंटन के समय प्रभावी दर रु०.....प्रति वर्गमी० से तथा 10 प्रतिशत से अधिक के क्षेत्रफल पर भूमि मूल्य विक्रय विलेख के निष्पादन के समय प्रभावी दर रु०.....प्रति वर्गमी० लिया गया है।)

(घ) भूमि पर स्थित भवन का मूल्य :

(ङ) सम्पत्ति का कुल मूल्य :

(च) कार्नर चार्ज :